41

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'एकल्व्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

इकतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944 (*शक)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'एकल्व्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944 (*शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं	
	अनुबंध	
	समिति की 9.12.2022को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	
	परिशिष्ट	
	जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'एकल्व्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के.षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा

24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा -अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल - संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल -निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार -उप सचिव
5. श्रीमती बिनानी सरकार जोशी - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'एकल्व्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

.2चौंतीसवां प्रतिवदेन 1 4.2022.को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ..24.82022 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अपने उत्तर प्रस्तुत किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 9.12.2022को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3 .सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति)सत्रहवीं लोक सभा (के चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट पर दिया गया है।

.4 संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **रमा देवी,**

09 दिसंबर, 2022 **सभापति,**

18अग्रहायण, 1944) शक(सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण' के संबंध में समिति के **34**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. 34वें प्रतिवेदन को **01**.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 1**1** टिप्पणियां/सिफारिशें थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-:

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- **(कुल:03, अध्याय: दो)**

सि. पैरा सं. **2.8, 6.12** और **9.9**

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- **(कुल:03, अध्याय: तीन)**

सि. पैरा सं. **3.7, 4.10** और **7.7**

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: – **(कुल:04, अध्याय: चार)**

सि. पैरा सं. **2.24, 8.19, 10.6** और **11.5**

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं:- **(कुल:01, अध्याय: पांच)**

सि. पैरा सं. **5.9**

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण और अध्याय- पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण उन्हें यथाशीघ्र और किसी भी दशा में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

4. अब समिति सरकार से प्राप्त उन उत्तरों पर विचार करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या जिनपर टिप्पणियां किया जाना आवश्यक है।

सिफारिश (पैरा सं. 2.24)

5. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि:

"समिति नोट करती है कि मूल लक्ष्य जिसमें यह निर्धारित है कि 12 एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय (ईएमडीबीएस) सहित 452 नये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना शेष 462 उप-जिलों में 2022 तक की जाएगी, लेकिन अब तक इनका कार्य पूरा नहीं हुआ है और इसके पूरा करने के लक्ष्य वर्ष की सीमा को संशोधित करके 2025 कर दिया गया है| समिति यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त करती है कि चरणबद्ध योजना के अनुसार 2018-19 से 2021-22 के बीच मंजूरी के लिए प्रस्तावित 452 विद्यालयों में से केवल 350 विद्यालयों को मंजूरी दी जा सकी और शेष 102 विद्यालयों को अभी भी मंजूरी दी जानी शेष है क्योंकि इन विद्यालयों के लिए स्थान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह निराशाजनक है कि आज तक मात्र 100 विद्यालयों का निर्माण का कार्य शुरू हो सका है जबकि मार्च, 2022 तक, जो अभी-अभी समाप्त हो चुकाहै। 332 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू होना था। समिति इस तथ्य पर निराशा व्यक्त करती है कि मंजूरी के लिए प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या तथा मंजूरी दिए गए विद्यालयों की संख्या और इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा के मध्य भी पर्याप्त अंतर है।

समिति को यह भी ज्ञात हुआ है कि मंत्रालय निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित 24 माह की मानक समय-सीमा का पालन करने में भी असफल रहा है क्योंकि वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि आज की तारीख तक 350 विद्यालयों में से मात्र 174

विद्यालयों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं मास्टर ले-आउट प्लान तथा 100 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो सका है। इसके अलावा चिंता की बात यह है कि केवल कुछ विद्यालयों के अपने भवन हैं क्योंकि मात्र 20 विद्यालयों को अपने भवनों से कार्यशील बनाया गया है। 103 विद्यालय 2018-19 से 2021-22 के बीच वैकल्पिक भवनों से कार्यरत हैं। समिति को मार्च, 2025 तक भी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर पूर्ण आशंका है क्योंकि 252 विद्यालयों का निर्माण अभी शुरू होना है। मंत्रालय द्वारा समिति को विश्वास दिलाया गया है कि योजना को नया रूप देने के बाद और नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना के बाद इन सब में काफी हद तक व्यापक सुधार होगा लेकिन तथ्य अभी भी यह बताते हैं कि एनईएसटीएस की स्थापना के 2 वर्ष बाद भी 16 स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए समिति की राय है कि मंत्रालय को एनईएसटीएस की स्थापना के बाद पृष्ठभूमि में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी कार्य संतोषजनक ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्य की प्रगति की सघन निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय विद्यालयों की मंजूरी/निर्माण/कार्यकरण के बारे में निर्धारित मानदंडों / समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कठौर आंतरिक-तंत्र बनाए ताकि ईएमआरएस / ईएमडीबीएस को अपने भवनों से कार्यशील बनाने में कोई विलंब न हो तथा किसी भी चरण पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई चूक न हो।"

सरकार का उत्तर

6. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में जानकारी दी है:-

"विनम्र निवेदन है कि मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सभी 452 स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। कैबिनेट नोट 2022 में 452 नए स्कूल स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की गई थी और निर्माण समय-सीमा चरणबद्ध तरीके से तय की गई थी। तदनुसार, अब तक 452 ईएमआरएस में से 396 स्वीकृत किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों ने वन, पहाड़ी इलाके या उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्दिष्ट ब्लॉकों में भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने, राज्यों से, ऐसे पड़ोसी ब्लॉकों/जिलों में वैकल्पिक भूमि की पहचान (चिन्हित) करने के लिए कहा है जहां बहुसंख्यक जनजातीय आबादी है। ऐसे सभी शेष स्थानों के लिए,

एनईएसटीएस और मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ सभी प्रकार कीबाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि प्रदान करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नई योजना के तहत आज तक की स्थिति अनुसार 275 स्थानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति (ए/ए एंड ई/एस) जारी की गई है, कुल 396 स्थानों में से 180 स्थानों पर जहां राज्यों द्वारा उपयुक्त भूमि प्रदान की गई हैनिर्माण कार्य शुरू हो गया है। कई अन्य स्थानों पर जहां भूमि उपयुक्त पाई गई है, वहां तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। आईआईटी/एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एनईएसटीएस ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने और निर्माण में विलंब को कम करने के लिए अनुभवी इंजीनियरों और वास्तुकारों (आर्किटेक्टस) से मिलकर एक समर्पित निर्माण विंग का गठन किया है। एनईएसटीएस सिविल टीम राज्यों में विभिन्न स्थानों पर पीएसयू/सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार को सौंपे गए निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही है। अत: आशा है कि आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।"

7. ईएमआरएस के निर्माण की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह सिफारिश की थी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय स्कूलों की मंजूरी/निर्माण/कार्यकरण के संबंध में निर्धारित मानदंडों/समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर अंतर्निर्मित तंत्र स्थापित करे ताकि अपने भवनों से ईएमआरएस/ईएमडीबीएस को प्रचालित करने के कार्य में विलंब न हो और किसी भी चरण में तत्संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में जानकारी दी कि प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (ए/ए एंड ई/एस) जारी किए गए 275 स्थानों में से केवल 180 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 452 ईएमआरएस में से केवल 396 ईएमआरएस को ही मंजूरी दे सका है। समिति का मानना है कि राज्यों को वैसी स्थितियों में जहां वे वन, पहाड़ी भूभाग होने अथवा उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्दिष्ट ब्लॉकों में भूमि प्रदान नहीं कर सके, बहुसंख्यक जनजातीय आबादी वाले पड़ोसी ब्लॉकों/जिलों में वैकल्पिक भूमि की पहचान करने की अनुमति देने से स्कूलों की मंजूरी/निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। समिति यह याद दिलाना चाहती है कि मंत्रालय को प्रारंभिक योजना स्तर पर संभावित बाधाओं को ध्यान में रखना चाहिए था क्योंकि, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में सभी

तरह की रुकावटों से मुक्त भूमि की उपलब्धता हमेशा ही ईएमआरएस के निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं में से एक रही है। समिति चाहती है कि मंत्रालय शेष 95 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए क्योंकि 275 स्थानों में से केवल 180 स्थानों पर ही कार्य शुरू हुआ है और समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय एनईटीएस को निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करने का भी निर्देश दे ताकि स्कूलों को दो वर्षों की निर्धारित अवधि में स्थापित किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

सिफारिश (पैरा सं. 8.19)

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि:-

"समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि ईएमआरएस में स्मार्ट क्लासेज और अटल टिंकरिंग लैब्स के प्रावधान और ईएमआरएस के छात्रों के लिए मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किट की खरीद में इतनी अधिक देरी हुई है कि कोविड महामारी के दौरान ईएमआरएस स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सका है। समिति का यह महसूस करती है कि इस देरी से छात्रों को अपूरणीय क्षति हुई हैं क्योकि उन्हें समय रहते इन सुविधाओं की आवश्यकता थी जिससे वे दूरस्थ रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख पाते। समिति स्कूलों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में निरंतर होने वाले विलंब के कारणों को समझने में असमर्थ है। यह तथ्य कि ऐसे विनिर्देशों, जिनके तहत कोई भी भारतीय कंपनी बोली नहीं लगा सकी थी, के साथ दो बार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, यह दर्शाता है कि एनईएसटीएस/मंत्रालय कोविड महामारी के दौरान आदिवासी स्कूली छात्रों की शिक्षा पूरी तरह से रूक जाने की संभावना को दूर करने हेतु कोई व्यावहारिक समाधान खोजने में विफल रहे। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को यह समझना चाहिए कि कार्य को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के गैर-जिम्मेदराना रवैये के कारण छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समिति का मत है कि इस मामले में ढुलमुल रवैये के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। समिति पाती है कि विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रबंधन सूचना प्रणाली)एमआईएस (भी बिना किसी ठोस औचित्य के काफी

समय से लंबित है। इसलिए मंत्रालय को चाहिए कि वह ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, स्मार्ट कक्षाओं और अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किटों की खरीद भी करे। चूंकि जनजातीय छात्र दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित हैं और उनके पास अपनी आवश्यकताओं को पुरजोर ढंग से व्यक्त करने के लिए संसाधन नहीं हैं, इसलिए यह मंत्रालय का कर्तव्य बनता है कि वे समय रहते उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की ठीक तरह से पहचान करें और उन्हें पूरा करें। अतएवं, समिति पुरजोर सिफारिश करना चाहेगी कि मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करे। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की चूंकि प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसे वर्तमान में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, स्कूलों, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित स्कूलों की निगरानी के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, बिना किसी और देरी के इसे समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।".

सरकार का उत्तर

9. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में जानकारी दी है:-

"अटल टिंकरिंग लैब्स के संबंध में, यह साझा किया जाता है कि अब तक 18 ईएमआरएस हैं जहां एटीएल स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 8 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, सिक्किम और मणिपुर में फैले हुए हैं। ईएमआरएस में एजाइल-एटीएल की स्थापना के लिए नीति आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया था, हालांकि, संगठन स्तर पर निधि की कमी के कारण अन्य वित्त पोषण विकल्पों का पता लगाया जा रहा है। एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालयने ईआरएनईटी, एमईआईटीवाईके साथ 175 ईएमआरएस (48 ईएमआरएस - पहले वर्ष और 127 ईएमआरएसदूसरे वर्ष) में स्मार्ट क्लास की स्थापना के संबंध में सहयोग किया है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, 43 ईएमआरएसमें अवसंरचना चालू है और 5 ईएमआरएसके लिए कार्य आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

"एनईएसटी की स्थापना के साथ, प्रगति की कठोर निगरानी के लिए सूचना को एक स्थान पर बनाए रखने के लिए एक प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, इसे विकसित करने का काम जनवरी 2021 में सौंपा गया था। एमआईएस वर्तमान में विकास के अधीन है और स्कूलों द्वारा डेटा प्रविष्टि के लिए कई मॉड्यूल पहले ही जीवंत किए जा चुके हैं। एमआईएस के बुनियादी मॉड्यूल का तकनीकी विकास जुलाई 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अधिकांश बुनियादी मॉड्यूल पहले ही पूरे हो चुके हैं और डेटा प्रविष्टि के लिए जीवंत किए जा चुके हैं;और वित्त, परिणाम आदि जैसे अन्य बुनियादी मॉड्यूल को जल्द ही जीवंत किया जाएगा।''

10. ईएमआरएस में ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, स्मार्ट क्लासेस और अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना में लगातार देरी और निर्धारित समय सीमा के भीतर मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किट की खरीद में लगातार देरी को ध्यान में रखते हुए, समिति ने मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह समयबद्ध तरीके से इन कार्यों को पूरा करे। कार्रवाई टिप्पण से समिति पाती है कि इस संबंध में आज भी बहुत प्रगति नहीं हुई है क्योंकि 8 राज्यों में ईएमआरएस में केवल 18 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। समिति पाती है कि मंत्रालय ने केवल 175 ईएमआरएस में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना के लिए ईआरएनईटी, एमईआईटीवाई के साथ मिलकर कार्य किया है। जनजातीय छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए समिति मानती है कि सभी ईएमआरएस में इन सुविधाओं को प्रदान करने में और अधिक देरी छात्रों को शिक्षा में उस नवीनतम तकनीक से वंचित कर देगी जो वर्तमान परिदृश्य में बहुत आवश्यक हो गई है। इसलिए, समिति अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराना चाहती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि उचित स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि परिकल्पना के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, स्मार्ट कक्षाएं और अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकें और मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किट खरीदे जा सकें जिससे समस्याप्रद परिस्थितियों में भी जनजातीय छात्रों को निर्बाध शिक्षा प्रदान की जा सके। समिति का सुविचारित मत यह भी है कि ईएमआरएस की प्रभावी निगरानी के लिए प्रबंधन को तैयार करने के लिए बिना किसी और विलंब के पूर्ण विकसित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित की जानी चाहिए। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाय।

सिफारिश (पैरा सं. 10.6)

11. समिति ने अपने की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि:-

"समिति यह नोट कर चकित है कि मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में जनजातीय बहुल जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पंद्रह ऐसे केंद्रों में से जिनके लिए प्रारंभिक स्वीकृति जारी कर दी गई है और 127 लाख रूपये भी स्वीकृत किए गए हैं एक अभिनिर्धारित वैयक्तिक खेल और एक समूह खेल के लिए खेलों के साथ खेलों के लिए दो विशेष अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए स्थान की पहचान कर नहीं कर पाया है। समिति यह जानकार चिंतित है कि 'खेलों इंडिया कार्यक्रम'के अंतर्गत सहयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है और ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए विस्तृत मानक प्रक्रिया तैयार नहीं की गई है। जबकि मंत्रालय दो सीओई की स्थापना के लिए स्थानों का निर्धारण ही नहीं कर सका है, समिति स्कीकृत दोनों सीओई के लिए 127 लाख रूपये की अग्रिम राशि जारी करने और 2021-22 से 2025-26 के दौरान ईएमआरएस को जारी रखने के लिए कैबिनेट नोट में वित्तीय प्रावधान को शामिल करने के उद्देश्य को समझने में असमर्थ है। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि सभी 15 सीओई स्थापित करने में कितना समय लगेगा। समिति विलंब के वित्तीय निहितार्थ को लेकर भी चिंतित है क्योंकि यदि निर्णय लेने में बहुत अधिक विलम्ब होता है तो ऐसे केंद्रों की लागत में काफी वृद्धि होने की संभावना है। अतएवं, समिति चाहेगी कि मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए उस रूपरेखा को अंतिम रूप देने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे जिससे न केवल दो सीओई के लिए स्थान का निर्धारण हो सके बल्कि सभी 15 सीओई के लिए स्थान निर्धारित हो जाए और सभी सीओई के कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।"

सरकार का उत्तर

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में जानकारी दी है:-

"सीओई की स्थापना का प्रस्ताव 6 राज्यों से प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने यह समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ कई दौर का परामर्श किया है कि 5 करोड़ रुपये

के उपलब्ध बजटीय आवंटन में क्या बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न खेलों के लिए कोचों की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। अन्य सभी राज्यों को भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सीओई में 1 प्रमुख खेल, 2 छोटे खेल, इनडोर खेल-कूद सुविधा और बाहरी सुविधाओं के साथ एक खेल का मैदान होगा।"

13. समिति यह जानकर निराश है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय बहुल जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 15 उत्कृष्ट खेल केन्द्रों में से दो उत्कृष्ट खेल केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान का निर्धारण अभी किया जाना है क्योंकि उत्कृष्ट खेल केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव केवल 6 राज्यों से प्राप्त हुआ है और अन्य सभी राज्यों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति उत्कृष्ट खेल केन्द्र परियोजना के मामले में मंत्रालय के ढुलमुल रवैये से खुश नहीं है। समिति का मानना है कि यदि मंत्रालय ने परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए उचित अध्ययन किया होता और प्रस्ताव शुरू करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास में लिया होता, तो कम से कम उन्हें स्थापित करने के लिए स्थान को अंतिम रूप देने में ऐसी बाधाएं उत्पन्न नहीं होतीं। चूंकि ये सीओई मौजूदा या प्रस्तावित ईएमआरएस के साथ ही स्थित होंगे, इसलिए समिति का मानना है कि ईएमआरएस के खेल-कूद में प्रतिभावान छात्र सीओई में उपलब्ध खेल-कूद और कोचिंग की सुविधाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। समिति ने यह भी नोट किया कि प्रत्येक सीओई में अब एक प्रमुख खेल, 2 लघु खेल, इनडोर खेल सुविधा और आउटडोर सुविधाओं के साथ एक खेल का मैदान होगा, जबकि पहले एक चिन्हित व्यक्तिगत खेल और एक सामूहिक खेल के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होने का प्रस्ताव था और यह समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चर्चा चल रही है कि 5 करोड़ रुपये के उपलब्ध बजटीय आवंटन से कौन-सा बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सकता है। चूंकि परियोजना बहुत ही प्रारंभिक चरण में है, इसलिए समिति का दृढ़ मत है कि यदि परियोजना के स्थानों को अंतिम रूप देने में और विलंब होता है, तो प्रदान किए गए 5 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन कम साबित हो सकता है। इसलिए, समिति को प्रतीत होता है कि बजट आवंटन भी अत्यंत अल्प है। चूंकि यह परियोजना वांछित गति से आगे नहीं बढ़ रही है इसलिए समिति इस बात पर जोर देती है कि मंत्रालय इस परियोजना की कमियों का आकलन करे और उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही दूर करे ताकि ये केन्द्र निर्बाध रूप से अस्तित्व में आ सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय परियोजना के प्रत्येक चरण को पूरा करने के

लिए समय सीमा निर्धारित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 2 लक्षित उत्कृष्ट खेल केंद्र समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं क्योंकि, यह देखते हुए कि देश के जनजातीय क्षेत्रों के एथलीट और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है।

सिफारिश (पैरा सं. 11.5)

14. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि:-

"समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि 3 राज्यों नामत: बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वे सीबीएसई बोर्ड में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा अपने राज्यों में स्थापित स्कूलों में राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम को जारी रखने पर जोर दे रहे हैं जबकि मानदण्डों में यह निर्धारित किया गया है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रति बच्चे को बेहतर राशि प्रदान करने के लिए स्थापित सभी ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्ध किया जाना है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय राज्यों के साथ इस बात को पुरजोर तरीके से उठाए और उन्हें एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक समयसीमा प्रदान करे ताकि स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए उन पर सीबीएसई बोर्ड के साथ स्कूलों की संबद्धता सहित स्थापित मानदंड लागू हों और इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मानकीकृत शिक्षा मिले तथा देश के सभी ईएमआरएस में शिक्षा का एक समान स्तर स्थापित किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि इस मुद्दे पर उन्हें साथ लाने के लिए मंत्रालय राज्यों के साथ उच्च स्तर पर इस मामले को आगे बढ़ाए और इस मुद्दे को त्वरित रूप से सुलझाएं।"

सरकार का उत्तर

15. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में जानकारी दी कि:-

"राज्यों अर्थात् बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि ये राज्य सीबीएसई से संबद्ध अपने राज्य में ईएमआरएस प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक मानदंड है।

उनकी राय है कि राज्य शिक्षा पैटर्न (राज्य बोर्ड) सीबीएसई पैटर्न के बजाय राज्य के लिए अधिक उपयुक्त है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित किया है और राज्यों के साथ बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की है और मंत्रालय नियमित रूप से इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.09.2021 और 10.12.2020 के पत्रों में, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से क्रमशः बिहार और तमिलनाडु के संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मामले को आगे बढ़ाने के लिए लिखा था। मंत्रालय एनईएसटीएसके समन्वय से इस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।"

16. समिति पाती है कि अपने प्रयासों के बावजूद मंत्रालय बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को राज्य बोर्ड के पाठ्यचर्या के स्थान पर सीबीएसई पाठ्यचर्या अपनाने के लिए सहमत करने में असमर्थ रहा है। समिति इस बात से अवगत है कि ईएमआरएस के लिए निर्धारित मानदंडों में से एक सीबीएसई के तहत संबद्धता है। समिति का मानना है कि सीबीएसई के तहत अपने ईएमआरएस को संबद्ध करने से असहमत होकर, ये राज्य ईएमआरएस योजना के तहत मिलने वाले उन लाभों को खो देंगे, जो अन्यथा जनजातीय क्षेत्रों की शैक्षिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है और उन जनजातीय छात्रों की बड़ी संख्या को लाभान्वित करता है जो सबसे सामाजिक रूप से कमजोर समूहों में से एक हैं। अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराते हुए समिति मंत्रालय से इन राज्यों के साथ इस मामले को जोरदार ढंग से उठाने और उन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान करती है ताकि देश के सभी ईएमआरएस में एकरूपता हो और योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो।

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

(सिफारिश क्र. सं. 2.8)

समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि 1997-98 में स्वीकृत 288 विद्यालयों में से, जो कि 2018-19 में ईएमआरएस योजना के नवीनीकरण से पहले के हैं, केवल 244 विद्यालयों को ही कार्यात्मक बनाया जा सका है| उन्होंने आगे पाया कि अब तक केवल 202 विद्यालयों का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है और 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है, जबकि 66 विद्यालयों का ही निर्माण कार्य अक्टूबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है| जिस गति से कार्य प्रगति कर रहा है, वह काफी धीमी प्रतीत हो रही है| योजना के दो दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में होने के बावजूद केवल 202 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है| आज तक 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, हालांकि इसे 2018-19 में योजना को नया रूप देने के पश्चात केंद्रीय/राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपा गया था| समिति का दृढ़ मत है कि निविदा प्रक्रिया, भूमि अंतरण, निर्माण एजेंसी का अंतिम रूप से चयन आदि से संबंधित नियमित मुद्दों को महीनों तक लटकाकर नहीं रखा जा सकता है और जब लक्ष्य पूरा करने की तारीख निर्धारित है तो कार्य में अत्यधिक विलंब नहीं किया जा सकता| समिति का मानना है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए गतिशील उपाय करने चाहिएं कि योजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कम से कम, सभी 288 पुराने स्वीकृत विद्यालयों को समयबद्ध तरीके से अपने स्वयं के भवनों से क्रियाशील बनाया जाए| इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय ठोस कदम उठाए ताकि 66 विद्यालयों का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जा सके और शेष 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके ताकि सभी पुराने विद्यालयों को उनके अपने भवनों से कार्यात्मक बनाया जा सके|

चूंकि, कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से शिक्षण गतिविधियां शुरू नहीं की गई हैं, अब यह और भी जरूरी हो गया है कि कम से कम जनजातीय बच्चों को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए विद्यालय की सुविधा मिलनी चाहिए, विशेषकर जब दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है| अत: समिति को इस संबंध में अवगत कराया जाए|

सरकार के उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने माननीय समिति से समय-समय पर प्राप्त मार्गदर्शन का हमेशा सम्मान किया है। ईएमआरएस योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसमें वर्ष1997 से भारत में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। जब प्रारंभ में ईएमआरएस स्थापित करने शुरू किए गए थे तो,संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए प्रविधि थीएवं यह राज्यों की पूरी जिम्मेदारी थी कि वे भूमि प्रदान करें और निर्माण पूरा करें।सहायता अनुदान की पुरानीपद्धति के तहत 288 स्कूलों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 214 स्कूलों में निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है. 56 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 18 विद्यालयों में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। भूमि को चिन्हित करने और स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य जिम्मेदार थे।

ईएमआरएस के महत्व को समझते हुए, इस योजना को वर्ष2019 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में नया रूप दिया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी और कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति (एसटी) व्यक्तियों वालाप्रत्येक ब्लॉकएकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। एकलव्य विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के समकक्ष विकसित किया जाएगा। व्यय विभाग ने सहमति दे दी है और मंत्रिमण्डल ने चरणबद्ध तरीके से वर्ष2025-26 तक 452 स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

माननीय समिति द्वारा पुरानी योजना के तहत कुछ विद्यालयों के क्रियाशील न होने या निर्माण पूर्ण न होने के संबंध में दिखाई गई चिंताओं के संबंध में, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पुरानी योजना तथा इसके साथ-साथ नवस्वरूपित योजना के तहत भूमि की पहचान (चिन्हित करने) और निर्माण हेतुवन मंजूरी आदि के साथ सभी बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि प्रदान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। चूंकि स्कूल के निर्माण में लगभग 2 साल लगते हैं अत:राज्यों को सलाह दी गई है कि निर्माण पूरा होने तक स्कूलों को वैकल्पिक भवन अधिमानतः एक सरकारी भवन से संचालित किया जाए और प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों का प्रावधान किया जाए। हालांकि, जहां इन स्कूलों का निर्माण हो रहा है वहां ब्लॉकों के दूरस्थ इलाकों में होने के कारणकभी-कभी स्कूलों को संचालित करने के लिए एक ही ब्लॉक में

वैकल्पिक सरकारी भवन मिलना मुश्किल होता है।कई बाधाओं के बावजूद, मंत्रालय और राज्यों के निरंतर प्रयासों से पुरानी योजना के तहत स्वीकृत स्कूलों सहित 378 स्कूलों को कार्यशील बनाने में पर्याप्त प्रगति हुई है। मंत्रालय, एनईएसटीएस के समन्वय से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और निर्माण एजेंसियों के साथ वीसी और राज्य के दौरों के माध्यम से नियमित रूप से मामले की समीक्षा कर रहा है। निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए एनईएसटीएस संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले की लगातार समीक्षा कर रहा है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 175 स्कूलों में, जनजातीय कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के बीच सहयोग के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिएस्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(सिफारिश क्र. सं. 6.12)

समिति पाती है कि ईएमआरएस योजना के पुनरुद्धार के बाद, 2018-19 से स्वीकृत 452 नए विद्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सीपीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है। सिवाय 42 विद्यालयों के जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। समिति यह भी पा है कि 2024-25 के लिए 2146.50 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत का बजटीय प्रावधान और 2025-26 के लिए 210.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। समिति इन दो वर्षों के लिए इतने कम बजटीय प्रावधान रखने के कारणों को समझने में असमर्थ है, जबकि आज की तारीख तक केवल 174 विद्यालयों के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है और 278 विद्यालयों के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान की जानी शेष है। चूंकि दूरदराज/पहाड़ियों/दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों के निर्माण में नियमित क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि अगले तीन वर्षों में 278 विद्यालय तैयार नहीं होंगे और 2025-26 में 210 करोड़ रुपये अपर्याप्त होंगे। समिति इस बात की आशंका से अवगत है कि उस समय ईएमआरएस को कितनी वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समिति चाहेगी कि मंत्रालय विद्यालयों के निर्माण के लिए किए गए वितीय आवंटन की समीक्षा करे ताकि कोई वित्तीय संकट न हो क्योंकि उपयोग न होने की

स्थिति में आबंटन व्यपगत होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, समिति यह जानकर निराश है कि निर्माण कार्य अपेक्षित गति से प्रगति नहीं कर रहा है क्योंकि निर्माण कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्माण के लिए 104 ईएमआरएस के लिए जारी की गई प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति में से केवल 43 स्थानों पर ही शुरू हो सका है। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय नियमित रूप से प्रारंभ किए गए कार्य की स्थिति की समीक्षा करे और सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे ताकि कार्य को एक लक्षित अवधि में पूरा किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय राज्यों को सौंपे गए कार्यों की निगरानी करे और उनकी ओर से विलंब से बचने के लिए अनुपालन की मांग करे।

सरकार के उत्तर

जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया है, सभी बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि प्रदान किए जाने के बाद स्कूल के निर्माण में निर्माण पूर्वऔर निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 2 साल लगते हैं, । 30.06.2022 तक, 236 स्कूलों में निर्माण प्रगति पर है, जिसमें पूर्व में सहायता-अनुदान-मॉडल में स्वीकृत ईएमआरएस शामिल है। वित्त मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से सभी 452 नए स्कूलों के निर्माण के लिए इस मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार निधियां आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की है। एनईएसटीएस ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुभवी इंजीनियरों और वास्तुकारों से एक समर्पित निर्माण विंग का गठन किया है।एनईएसटीएस सिविल टीम राज्यों के विभिन्न स्थानों पर पीएसयू/सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार को सौंपी गई निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही है। राज्यों/निर्माण एजेंसियों को उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से निधियां जारी की जा रही हैं। चूंकि इन 2 वर्षों में स्वीकृत किए गए स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और नए स्कूलों को निर्माण शुरू करने के लिए निधियों की आवश्यकता होगी, 2023-24 और 2024-25 में अधिकतम निधियों की आवश्यकता होगी, तदनुसार बजट का अनुमान लगाया गया है और प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार, कुछ विद्यालय ही निर्माणाधीन और पूर्ण होने के चरण में होंगे। इसलिए, तदनुसार बजट प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय ने की गई प्रगति के आधार पर पर्याप्त धन सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। किसी विशेष वर्ष के दौरान, यदि बजटीय अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है और यदि अधिक अनुदानों की आवश्यकता होती है, तो वित्त मंत्रालय अतिरिक्त अनुदान प्रदान करेगा।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(सिफारिश क्र. सं. 9.9)

समिति ने परीक्षाओं के साथ-साथ पाठ्येतर कार्यलापों में ईएमआरएस छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करती है और यह मत व्यक्त किया है कि छात्रों को समय पर अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अब विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तथापि, समिति इस बात से आश्चर्यचकित है कि जबकि ईएमआरएस को जेएनवी के समतुत्य बनाने का लक्ष्य है, एनईटीएस द्वारा प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किया जाना अभी तक शेष है और समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी अभी विकासाधीन है। समिति इस बात से अवगत है कि स्कूलों का प्रबंधन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, स्कूलों में बुनियादी ढांचे की एकरूपता सुनिश्चित करना अब एनईएसटीएस की जिम्मेदारी है। अतएवं, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि एनईएसटीएस द्वारा समयबद्ध तरीके से प्रवेश संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा ईएमआरएस में समान रूप से लागू किया जा सके। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों का पालन करने का अर्थ स्कूलों में प्रवेश के लिए एकसमान प्रक्रिया के उद्देश्य की अनदेखी करना होगा। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि ऑनलाइन पोर्टल को शीघ्रता से विकसित किया जाए ताकि संबंधित स्कूलों द्वारा संभावित छात्रों/शिक्षकों के लाभ के लिए छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं, स्कूलों में अवसंरचना, उनकी योग्यता सहित शिक्षकों के ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा सकें।

सरकार के उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्रालय और एनईएसटीएस माननीय समिति की सराहना के लिए आभारी हैं। ईएमआरएस स्कूल प्रवेश दिशानिर्देश विधिवत रूप से तैयार किए गए हैं और अकादमिक समिति के अनुमोदन के लिए रखे गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूल प्रवेश प्रक्रियाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए, एनवीएस पैटर्न की तर्ज पर, मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए

हैं। दिनांक 27.06.2022 को हुई अकादमिक समिति की बैठक में कुछ मामूली बदलावों के साथ दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है। परिवर्तनों को अगले सत्र यानी 2023-2024 से लागू करने के बाद विधिवत शामिल किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक समान स्कूल प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए अंतिम दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस समितियों के साथ साझा किए जाएंगे।

जहां तक ऑनलाइन पोर्टल यानी एमआईएस के विकास का संबंध है, सभी बुनियादी मॉड्यूल चालू हैं। माननीय समिति इस बात की सराहना करेगी कि पोर्टल का विकास और डेटा का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है। अनुभव, हितधारकों की प्रतिक्रिया और सीख के आधार पर, एमआईएस को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल विकास की स्थिति निम्नानुसार है:-

• सभी बुनियादी मॉड्यूल को अंतिम रूप दे दिया गया है। **मानव संसाधन, छात्र विवरण, स्कूल और शैक्षणिक जानकारी** आदि से संबंधित मॉड्यूल पहले ही विकसित किए जा चुके हैं और क्रियाशील हैं।

• **निर्माण,**पूर्व छात्रों और पदोन्नति मॉड्यूल को जीवंत कर दिया गया है। वित्त मॉड्यूल और परिणाम मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

• परिणाम मॉड्यूल और निर्माण मॉड्यूल का प्रशिक्षण क्रमशः 27 अप्रैल और 29 अप्रैल, 2022 को दिया गया है।

• आगे के विकास के लिए पीजीआई इंडेक्स, प्रवेश विवरण और अवसंरचना मॉड्यूल के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

• उपरोक्त बुनियादी मॉड्यूल के पूरा होने के बाद अतिरिक्त मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

अध्याय- तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

(सिफारिश क्र. सं. 3.7)

समिति ने यह देखा है कि 50% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले उप-जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और 90% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले उप-जिले में एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) की स्थापना के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि दिशानिर्देशों में पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पर छूट के प्रावधान के बावजूद, भूमि वन का तकनीकी रूप से उपयुक्त ना पाया जाना, भूमि का वन क्षेत्र के अंतर्गत आना आदि जैसी कई विसंगतियां सामने आती हैं और चूंकि मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया में समय लगता है, अतः चुनिंदा जिलों में ईएमआरएस की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण में विलंब हो रहा है। समिति का मानना है कि ईएमआरएस के निर्माण के लिए 50% अनुसूचित जनजाति और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों की आबादी वाले उप-जिले में न्यूनतम 15 एकड़ भूमि का मानदंड अव्यावहारिक है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में 15 एकड़ का भूखंड आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ईएमआरएस की स्वीकृति के लिए अनुसूचित जनजाति की 50% जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों का होना और ईएमडीबीएस की स्वीकृति के लिए 90% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानदंड भूमि की पहचान को और अधिक बोझिल बनाते हैं। इसलिए समिति महसूस करती है कि क्षेत्र/जनसंख्या संबंधी दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये शर्तें साथ मिलकर ईएमआरएस / ईएमडीबीएस की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण को काफी जटिल बना देती हैं। इसलिए समिति का मत है कि इनकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए और व्यवहार्य समाधान निकाले जाने चाहिए ताकि भूमि अधिग्रहण में विलंब को रोका जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यह समीक्षा ईएमआरएस / ईएमडीबीएस की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं से समझौता किए बिना की जानी चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि व्यापक रूप से बिखरे हुए जनजातीय

आबादी वाले ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को ईएमआरएस / ईएमडीबीएस से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो उनके शैक्षिक सशक्तिकरण का साधन हैं। समिति ने नोट किया कि तीन ईएमडीबीएस स्कूलों की स्वीकृति दी गई थी जिनमें से दो स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और एक स्कूल का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। समिति चाहती है कि तीनों ईएमडीबीएस का निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाए और मंत्रालय ईएमडीबीएस के निर्माण के लिए शीघ्रता से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहित / संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये ताकि अधिकतम जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सरकार के उत्तर

समिति के सुझाव और राज्यों द्वारा 15एकड़ भूमि को खोजने में बताई गई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ईएमआरएस परिसर के वास्तुशिल्प डिजाइन को **8-9** एकड़ भूमि में समायोजित करने के लिए संशोधित किया गया है। ऐसे स्थानों में, ग्राउंड प्लस **1** के स्थान पर स्कूल भवन का डिज़ाइन ग्राउंड प्लस 2होगा। मामले दर मामले आधार पर तथा राज्यों और निर्माण एजेंसियों द्वारा बताई गई कठिनाइयों के आधार पर, भूमि की आवश्यकता और निर्माण योजना को संशोधित किया जा रहा है। जैसा कि माननीय समिति द्वारा अवलोकित किया गया है, प्रस्तावों की जांच करते समय भूमि-बाधाओं पर ध्यान से विचार किया गया है। साथ ही जनजातीय बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवासीय परिसर में खेल के मैदान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना वांछनीय है। अत:उचित क्षेत्र के साथ भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि परियोजना के सभी घटकों जैसे छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रयोगशालाएं और खेल के मैदान उपलब्ध कराए जा सकें।

गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों के लिए 3 ईएमडीबीएस के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, हाल ही में सभी 3 राज्य सरकारों ने ईएमडीबीएसको ईएमआरएसमें परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया है। चूंकि ईएमडीबीएस की स्थापना के मानदंड ईएमआरएस से भिन्न हैं।अत: मंत्रालय ने इन स्थानों पर मानदंडों की पूर्ति पर राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा है। एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(सिफारिश क्र. सं. 4.10)

समिति को ज्ञात हुआ है कि ईएमआरएस की आयोजना, निर्माण, स्थापना, वित्तदान और प्रशासन के लिए 2019 में स्थापित नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटी) का कार्य जनजातीय छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी के सामान्य कोर पाठ्यक्रम, स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करना तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों अथवा राज्य सरकारों आदि द्वारा हस्ताक्षरित मौजूदा समझौता ज्ञापनो की समीक्षा करना है। समिति आगे नोट करती है कि दिशा-निर्देश जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्कूलों के रख रखाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर ईएमआरएस सोसाइटियों की स्थापना किया जाना अपेक्षित था, अब तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में से 27 में इनकी स्थापना की गई है। तथापि, समिति इस बात से क्षुब्ध है कि एनईएसटीएस में आज की तारीख तक केवल 6 पदों को भरा गया है, इस प्रकार वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 28 पदों में से 26 पद रिक्त रह गए हैं। समिति यह समझने में असमर्थ हैं कि एनईएसटीएस इस तरह की स्थापना के साथ अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को कैसे उचित तरीके से पूरा कर पाएगा। चूंकि केवल दो शीर्ष पद भरे गये हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि संभवतः अब तक एनईएसटीएस का कार्यकरण आरम्भ नहीं हुआ होगा। इसलिए, समिति का मत है कि एनईएसटीएस की स्वीकृत कार्मिक संख्या की भर्ती में और विलम्ब नहीं होना चाहिए। एनईएसटीएस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ईएमआरएस सोसाइटियों की तत्काल स्थापना की जाए और स्कूलों के सुचारू कार्यकरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों या राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन की समीक्षा की जाती है/ इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनईएसटीएस की भूमिका और जिम्मेदारी, जिसके भविष्य में कई गुना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के साथ इच्छित 740 स्कूलों को चलाना और समन्वय करना है, समिति आगे दृढ़ता से महसूस करती है कि सम्भवतः एनईएसटीएस की वर्तमान

स्वीकृत संख्या की समीक्षा और इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है या इसकी तकनीकी क्षमताएं बेहतर स्तर की हैं ताकि वे स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सके। भविष्य में स्कूलों की निर्माण पूर्व और निर्माणोत्तर गतिविधियों में वृद्धि के साथ परियोजना निगरानी इकाइयों की जिम्मेदारी में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समिति यह भी चाहेगी कि परियोजना निगरानी इकाइयों में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ रखे जाएँ ताकि वे ईएमआरएस की निर्माण पूर्व और निर्माणोत्तर गतिविधियों का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण और निगरानी कर सकें।

सरकार के उत्तर

मंत्रालय माननीय समिति द्वारा दिखाई गई चिंता की पूरी तरह से सराहना करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनईएसटीएस में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अभी तक, एनईएसटीएस के लिए स्वीकृत 28 पदों में से 16 पद पहले ही भरे जा चुके हैं और 09 पदों पर भर्ती अंतिम चरण में है। 9 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार हेतु पत्र जारी कर दिए गए हैं। अन्य 3 पदों की भर्ती प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रक्रिया में है। पद वार स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

एनईएसटीएसमें नियुक्ति की स्थिति			
(22.06.2022 तक)			
क्र.सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**	**स्थिति**
1	आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर)	1	भरा गया
2	अपर आयुक्त (निदेशक स्तर)	1	भरा गया
3	आयुक्त के निजी सचिव	1	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रक्रियाधीन
4	संयुक्त आयुक्त (उप-सचिव स्तर)	2	भरा गया
5	आशुलिपिक ग्रेड I (अपर आयुक्त के लिए)	1	मेडिकल जांच के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
6	उपायुक्त (अवरसचिव स्तर)	2	भरा गया
7	आशुलिपिक ग्रेड II (संयुक्त आयुक्त के लिए)	2	मेडिकल जांच के बाद नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा।
8	सहायक आयुक्त (अनुभाग अधिकारी स्तर)	4	भरा गया
9	कार्यालय अधीक्षक - व्यवस्थापक (सहायक अनुभाग	2	नियुक्ति पत्र जारी।

	अधिकारी स्तर)		
10	कार्यालय अधीक्षक - प्रशासन (सहायक अनुभाग अधिकारी स्तर)	2	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रक्रियाधीन
11	कार्यालय सहायक (अपर श्रेणी लिपिक स्तर)	4	मेडिकल जांच के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
12	मल्टी टास्किंग स्टाफ	6	भरा गया
	कुल	**28**	

इसके अतिरिक्त, एनईएसटीएसने सिविल कंसल्टेंट्स (परामर्शदाताओं) का एक स्कंध(विंग) स्थापित किया है जिसमें इंजीनियर शामिल हैं, जो निर्माण संबंधी कार्यों के दिन-प्रतिदिन के मामलों से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों में अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता के पद पर काम कर चुके हैं। स्थानीय निरीक्षण के लिए नियमित आधार पर इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं को भी नियुक्त किया गया है। ये परामर्शदाता निर्माण की प्रगति की निगरानी करते हैं और एनईएसटीएस स्तर पर आसान निगरानी के लिए तस्वीरों के साथ आवधिक रिपोर्टें साझा करते हैं।

एनईएसटीएस ने परामर्शदाताओं का एक पीएमयू भी स्थापित किया है जहां ईएमआरएस के कार्यान्वयन में सहायता के लिए अकादमिक, समन्वय, आईटी, एचआर, एमआईएस, डेटाबेस प्रबंधन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कुशल परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। माननीय समिति के निर्देशानुसार, एनईएसटीएस के साथ मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(**सिफारिश क्र. सं.** 7.7)

समिति ने पाया है कि विगत दो वर्षों के दौरान ईएमआरएस के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तथापि, इन कार्यक्रमों में विद्यालयों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की भागीदारी सीमित पाई गई थी। समिति का मत है कि शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आवधिक रूप से आयोजन किया जाना चाहिए और

उनके शिक्षण/नेतृत्व कौशल में उन्नयन के लिए भागीदारी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए जो उन्हें शिक्षा प्रदान करने के तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप कार्य करने में समर्थ बनाएगा। समिति चाहती है कि एनईएसटीएस राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के विनिमय कार्यक्रम विकसित करे ताकि वे उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें। समिति पेशेवर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए राष्ट्रीय शीर्ष निकायों जैसे एनसीईआरटी, नीति आयोग, एनआईईपीए आदि के साथ सहयोग जैसी पहलों की सराहना करती है और चाहती है कि इसमें ईएमआरएस शिक्षकों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा, समिति यह भी महसूस करती है कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनईएसटीएस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मध्य सहयोग से छात्रों और शिक्षकों को कौशल विकसित करने में लाभ होगा, इसलिए ईएमआरएस में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की शीघ्र शुरूआत हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। समिति का विचार है कि कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के लिए व्यावसायिक क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया जाए और इसे सभी ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के साथ साझा किया जाए ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

सरकार के उत्तर

माननीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत है। कोविड महामारी की स्थिति के कारण, एनईएसटीएसपिछले 2 वर्षों में वार्षिक सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर सका, जहाँ प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और छात्रों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मौका मिलता है। मंत्रालय के साथ समन्वय में एनईएसटी पिछले दो वर्षों से एनसीईआरटी, एनआईईपीए, टाटा ट्रस्ट, स्कूल इनोवेशन सेल (शिक्षा मंत्रालय) आदि जैसे कई प्रमुख संस्थानों के सहयोग से अपने ईएमआरएस शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षण बिरादरी के लिए रचनात्मक स्थान बनाने हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का पता चलता है।

प्रशिक्षण डेटा दर्शाता है कि लगभग 1200 ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने नेतृत्व प्रशिक्षण से लेकर समग्र उन्नति; एनईपी 2020 में डिजाइन थिंकिंग से लेकर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग तक विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

समिति की सिफारिश के अनुसार, एनईएसटी ने प्रत्येक वर्ष शुरू किए जाने वाले वार्षिक शैक्षणिक/प्रशिक्षण रूपरेखा कार्यक्रम/परियोजनाएं विकसित की हैं। केंद्रीय रूप से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईएमआरएस शिक्षण बिरादरी द्वारा अनिवार्य रूप से भाग लेने की सिफारिश की जाती है, जो एनईपी 2020 में दिए गए शिक्षकों के पेशेवर विकास प्रशिक्षण के 50 घंटे के अधिदेश को पूरा करते हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ईएमआरएस से उत्कृष्ट प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के नामांकन का एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया था। जिसके आधार पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संसाधन व्यक्तियों का एक पूल बनाया गया है, जो भविष्य में एनईएसटीएसके सहयोग से आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए भावी मास्टर ट्रेनर के रूप में उभर सकते हैं। ईएमआरएस पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशिक्षक मॉडल ढांचे का प्रशिक्षण भविष्य के पाठ्यक्रम में विकसित किया जाएगा और एक बार पर्याप्त नियमित शिक्षण स्टाफ ईएमआरएस स्कूल प्रणाली में शामिल हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर अनावरण किया जाएगा।

एनईएसटीएसव्यापक शिक्षक प्रशिक्षण ढांचा विकसित करेगा जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) मॉडल, शिक्षण स्टाफ विनिमय कार्यक्रमों आदि को चित्रित करने वाले ठोस दिशानिर्देशों का सम्मिश्रण होगा।

ईएमआरएस में व्यावसायिक शिक्षा/कौशल शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, स्कूलों को भविष्य के पाठ्यक्रम में सीबीएसई पाठ्यक्रम के भाग के रूप में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्कूलों के लिए कौशल पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षकों को ऑन-बोर्ड लाने के लिए, भविष्य में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयसे सहायता प्राप्त की जाएगी।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

(सिफारिश क्र. सं. 2.24)

समिति नोट करती है कि मूल लक्ष्य जिसमें यह निर्धारित है कि 12 एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय (ईएमडीबीएस) सहित 452 नये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना शेष 462 उप-जिलों में 2022 तक की जाएगी, लेकिन अब तक इनका कार्य पूरा नहीं हुआ है और इसके पूरा करने के लक्ष्य वर्ष की सीमा को संशोधित करके 2025 कर दिया गया है| समिति यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त करती है कि चरणबद्ध योजना के अनुसार 2018-19 से 2021-22 के बीच मंजूरी के लिए प्रस्तावित 452 विद्यालयों में से केवल 350 विद्यालयों को मंजूरी दी जा सकी और शेष 102 विद्यालयों को अभी भी मंजूरी दी जानी शेष है क्योंकि इन विद्यालयों के लिए स्थान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह निराशाजनक है कि आज तक मात्र 100 विद्यालयों का निर्माण का कार्य शुरू हो सका है जबकि मार्च, 2022 तक, जो अभी-अभी समाप्त हो चुकाहै।332 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू होना था। समिति इस तथ्य पर निराशा व्यक्त करती है कि मंजूरी के लिए प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या तथा मंजूरी दिए गए विद्यालयों की संख्या और इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा के मध्य भी पर्याप्त अंतर है।

समिति को यह भी ज्ञात हुआ है कि मंत्रालय निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित 24 माह की मानक समय-सीमा का पालन करने में भी असफल रहा है क्योंकि वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि आज की तारीख तक 350 विद्यालयों में से मात्र 174 विद्यालयों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं मास्टर ले-आउट प्लान तथा 100 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो सका है।

इसके अलावा चिंता की बात यह है कि केवल कुछ विद्यालयों के अपने भवन हैं क्योंकि मात्र 20 विद्यालयों को अपने भवनों से कार्यशील बनाया गया है। 103 विद्यालय 2018-19 से 2021-22 के बीच वैकल्पिक भवनों से कार्यरत हैं। समिति को मार्च, 2025 तक भी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर पूर्ण आशंका है क्योंकि 252 विद्यालयों का निर्माण अभी शुरू होना है।

मंत्रालय द्वारा समिति को विश्वास दिलाया गया है कि योजना को नया रूप देने के बाद और नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना के बाद इन सब में काफी हद तक व्यापक सुधार होगा लेकिन तथ्य अभी भी यह बताते हैं कि एनईएसटीएस की स्थापना के 2 वर्ष बाद भी 16 स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए समिति की राय है कि मंत्रालय को एनईएसटीएस की स्थापना के बाद पृष्ठभूमि में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी कार्य संतोषजनक ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्य की प्रगति की सघन निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय विद्यालयों की मंजूरी/निर्माण/कार्यकरण के बारे में निर्धारित मानदंडों/समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कठौर आंतरिक-तंत्र बनाए ताकि ईएमआरएस/ईएमडीबीएस को अपने भवनों से कार्यशील बनाने में कोई विलंब न हो तथा किसी भी चरण पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई चूक न हो।

सरकार का उत्तर

विनम्र निवेदन है कि मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सभी 452 स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। कैबिनेट नोट 2022 में 452 नए स्कूल स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की गई थी और निर्माण समय-सीमा चरणबद्ध तरीके से तय की गई थी। तदनुसार, अब तक 452 ईएमआरएस में से 396 स्वीकृत किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों ने वन, पहाड़ी इलाके या उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्दिष्ट ब्लॉकों में भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने, राज्यों से, ऐसे पड़ोसी ब्लॉकों/जिलों में वैकल्पिक भूमि की पहचान (चिन्हित) करने के लिए कहा है जहां बहुसंख्यक जनजातीय आबादी है। ऐसे सभी शेष स्थानों के लिए, एनईएसटीएसऔर मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ सभी प्रकार कीबाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि प्रदान करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।नई योजना के तहत आज जक की स्थिति अनुसार275 स्थानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति (ए/ए एंड ई/एस) जारी की गई है, कुल 396 स्थानों में से 180 स्थानों पर जहां राज्यों द्वारा उपयुक्त भूमि प्रदान की गई हैनिर्माण कार्य शुरू हो गया है। कई अन्य स्थानों पर जहां भूमि उपयुक्त पाई गई है, वहां तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। आईआईटी/एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

एनईएसटीएसने निगरानी तंत्र को मजबूत करने और निर्माण में विलंब को कम करने के लिए अनुभवी इंजीनियरों और वास्तुकारों (आर्किटेक्टस) से मिलकर एक समर्पित निर्माण विंग का गठन किया है। एनईएसटीएस सिविल टीम राज्यों में विभिन्न स्थानों पर पीएसयू/सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार को सौंपे गए निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही है। अत: आशा है कि आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(सिफारिश क्र. सं. 8.19)

समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि ईएमआरएस में स्मार्ट क्लासेज और अटल टिंकरिंग लैब्स के प्रावधान और ईएमआरएस के छात्रों के लिए मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किट की खरीद में इतनी अधिक देरी हुई है कि कोविड महामारी के दौरान ईएमआरएस स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सका है। समिति का यह महसूस करती है कि इस देरी से छात्रों को अपूरणीय क्षति हुई हैं क्योकि उन्हें समय रहते इन सुविधाओं की आवश्यकता थी जिससे वे दूरस्थ रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख पाते। समिति स्कूलों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में निरंतर होने वाले विलंब के कारणों को समझने में असमर्थ है। यह तथ्य कि ऐसे विनिर्देशों, जिनके तहत कोई भी भारतीय कंपनी बोली नहीं लगा सकी थी, के साथ दो बार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, यह दर्शाता है कि एनईएसटीएस/मंत्रालय कोविड महामारी के दौरान आदिवासी स्कूली छात्रों की शिक्षा पूरी तरह से रूक जाने की संभावना को दूर करने हेतु कोई व्यावहारिक समाधान खोजने में विफल रहे। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को यह समझना चाहिए कि कार्य को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के गैर-जिम्मेदराना रवैये के कारण छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समिति का मत है कि इस मामले में ढुलमुल रवैये के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। समिति पाती है कि विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रबंधन सूचना प्रणाली)एमआईएस (भी बिना किसी ठोस औचित्य के काफी समय से लंबित है। इसलिए मंत्रालय को चाहिए कि वह ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, स्मार्ट कक्षाओं और अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किटों की खरीद भी करे। चूंकि जनजातीय छात्र दूरदराज के

क्षेत्रों से संबंधित हैं और उनके पास अपनी आवश्यकताओं को पुरजोर ढंग से व्यक्त करने के लिए संसाधन नहीं हैं, इसलिए यह मंत्रालय का कर्तव्य बनता है कि वे समय रहते उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की ठीक तरह से पहचान करें और उन्हें पूरा करें। अतएवं, समिति पुरजोर सिफारिश करना चाहेगी कि मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करे। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की चूंकि प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसे वर्तमान में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, स्कूलों, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित स्कूलों की निगरानी के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, बिना किसी और देरी के इसे समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।

सरकार के उत्तर

अटल टिंकरिंग लैब्स के संबंध में, यह साझा किया जाता है कि अब तक 18 ईएमआरएस हैं जहां एटीएल स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 8 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, सिक्किम और मणिपुर में फैले हुए हैं। ईएमआरएस में एजाइल-एटीएल की स्थापना के लिए नीति आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया था, हालांकि, संगठन स्तर पर निधि की कमी के कारण अन्य वित्त पोषण विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालयने ईआरएनईटी, एमईआईटीवाईके साथ 175 ईएमआरएस (48 ईएमआरएस -पहले वर्ष और 127 ईएमआरएसदूसरे वर्ष) में स्मार्ट क्लास की स्थापना के संबंध में सहयोग किया है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, 43 ईएमआरएसमें अवसंरचना चालू है और 5 ईएमआरएसके लिए कार्य आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

“एनईएसटी की स्थापना के साथ, प्रगति की कठोर निगरानी के लिए सूचना को एक स्थान पर बनाए रखने के लिए एक प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, इसे विकसित करने का काम जनवरी 2021 में सौंपा गया था। एमआईएस वर्तमान में विकास के अधीन है और स्कूलों द्वारा डेटा प्रविष्टि के लिए कई मॉड्यूल पहले ही

जीवंत किए जा चुके हैं। एमआईएस के बुनियादी मॉड्यूल का तकनीकी विकास जुलाई 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अधिकांश बुनियादी मॉड्यूल पहले ही पूरे हो चुके हैं और डेटा प्रविष्टि के लिए जीवंत किए जा चुके हैं;और वित्त, परिणाम आदि जैसे अन्य बुनियादी मॉड्यूल को जल्द ही जीवंत किया जाएगा।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(सिफारिश क्र. सं. 10.6)

समिति यह नोट कर चकित है कि मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में जनजातीय बहुल जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पंद्रह ऐसे केंद्रों में से जिनके लिए प्रारंभिक स्वीकृति जारी कर दी गई है और 127 लाख रूपये भी स्वीकृत किए गए हैं एक अभिनिर्धारित वैयक्तिक खेल और एक समूह खेल के लिए खेलों के साथ खेलों के लिए दो विशेष अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए स्थान की पहचान कर नहीं कर पाया है। समिति यह जानकार चिंतित है कि 'खेलों इंडिया कार्यक्रम'के अंतर्गत सहयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है और ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए विस्तृत मानक प्रक्रिया तैयार नहीं की गई है। जबकि मंत्रालय दो सीओई की स्थापना के लिए स्थानों का निर्धारण ही नहीं कर सका है, समिति स्कीकृत दोनों सीओई के लिए 127 लाख रूपये की अग्रिम राशि जारी करने और 2021-22 से 2025-26 के दौरान ईएमआरएस को जारी रखने के लिए कैबिनेट नोट में वित्तीय प्रावधान को शामिल करने के उद्देश्य को समझने में असमर्थ है। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि सभी 15 सीओई स्थापित करने में कितना समय लगेगा। समिति विलंब के वित्तीय निहितार्थ को लेकर भी चिंतित है क्योंकि यदि निर्णय लेने में बहुत अधिक विलम्ब होता है तो ऐसे केंद्रों की लागत में काफी वृद्धि होने की संभावना है। अतएवं, समिति चाहेगी कि मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए उस रूपरेखा को अंतिम रूप देने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे जिससे न केवल दो सीओई के लिए स्थान का निर्धारण हो सके बल्कि सभी 15 सीओई के लिए स्थान निर्धारित हो जाए और सभी सीओई के कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।

सरकार के उत्तर

सीओई की स्थापना का प्रस्ताव 6 राज्यों से प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने यह समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ कई दौर का परामर्श किया है कि 5 करोड़ रुपये के उपलब्ध बजटीय आवंटन में क्या बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न खेलों के लिए कोचों की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। अन्य सभी राज्यों को भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सीओई में 1 प्रमुख खेल, 2 छोटे खेल, इनडोर खेल-कूद सुविधा और बाहरी सुविधाओं के साथ एक खेल का मैदान होगा।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

(सिफारिश क्र. सं. 11.5)

समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि 3 राज्यों नामत: बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वे सीबीएसई बोर्ड में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा अपने राज्यों में स्थापित स्कूलों में राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम को जारी रखने पर जोर दे रहे हैं जबकि मानदण्डों में यह निर्धारित किया गया है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रति बच्चे को बेहतर राशि प्रदान करने के लिए स्थापित सभी ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्ध किया जाना है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय राज्यों के साथ इस बात को पुरजोर तरीके से उठाए और उन्हें एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक समयसीमा प्रदान करे ताकि स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए उन पर सीबीएसई बोर्ड के साथ स्कूलों की संबद्धता सहित स्थापित मानदंड लागू हों और इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मानकीकृत शिक्षा मिले तथा देश के सभी ईएमआरएस में शिक्षा का एक समान स्तर स्थापित किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि इस मुद्दे पर उन्हें साथ लाने के लिए मंत्रालय राज्यों के साथ उच्च स्तर पर इस मामले को आगे बढाए और इस मुद्दे को त्वरित रूप से सुलझाएं।

सरकार के उत्तर

3 राज्यों अर्थात् बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि ये राज्य सीबीएसई से संबद्ध अपने राज्य में ईएमआरएस प्राप्त करने के

इच्छुक नहीं हैं जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक मानदंड है। उनकी राय है कि राज्य शिक्षा पैटर्न (राज्य बोर्ड) सीबीएसई पैटर्न के बजाय राज्य के लिए अधिक उपयुक्त है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित किया है और राज्यों के साथ बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की है और मंत्रालय नियमित रूप से इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.09.2021 और 10.12.2020 के पत्रों में, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से क्रमशः बिहार और तमिलनाडु के संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मामले को आगे बढ़ाने के लिए लिखा था। मंत्रालय एनईएसटीएसके समन्वय से इस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

अध्याय-पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं

(सिफारिश क्र. सं. 5.9)

समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि 1997-98 से इस योजना के अस्तित्व के बावजूद राज्यों द्वारा ईएमआरएस के विद्यालयों हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक समान मानदंड नहीं हैं क्योंकि मंत्रालय का राज्यों को ईएमआरएस स्थापित करने के लिए अनुदान देने के अतिरिक्त इनविद्यालयों पर नियंत्रण नहीं था। समिति को अब सूचित किया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर तैयार किए गए मानदण्डों के अनुसार 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 3400 रिक्तियों के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर ईएमआरएस- शिक्षण स्टाफ चयन परीक्षा आयोजित करेगी। तथापि, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी न किए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित है। समिति का मानना है कि यदि यह निर्णय मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस के अस्तित्व में आने के समय लिया गया होता तो विद्यालय पूरे देश में शिक्षा का एक समान स्तर हासिल कर सकते थे। समिति पाती है कि यह मामला अभी भी अवरुद्ध है क्योंकि वे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शिक्षकों की रिक्तियों का विज्ञापन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि एनईएसटीएस द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित राज्यों/ ईएमआरएस सोसाइटियों द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। जब तक सभी राज्य इससे सहमत नहीं होते हैं, तब तक शिक्षकों की भर्ती प्रभावित होती रहेगी। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जानी चाहिए और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतीक्षा किए बिना विज्ञापित रिक्तियों के लिए परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए जिन्होंने भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं किया है और राज्य विशिष्ट आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्ती किए गए शिक्षकों की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि उन्हें तैनाती से पहले प्रशिक्षित किया जा सके। एनईएसटीएस उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है। जिन्होंने उनके द्वारा बनाए गए मॉडल भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं किया है और यह सुनिश्चित करे कि ये राज्य उक्त नियमों को एक विशिष्ट समयावधि में अधिसूचित करें ताकि इन राज्यों के लिए शिक्षकों की भर्ती भी समयबद्ध तरीके से की जा सके। एनईएसटीएस द्वारा बनाए गए

मॉडल भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी करने में अभी भी देरी कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को उचित स्तर पर आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र अधिसूचित किया जा सके और विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न हो। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय ईएमआरएस के कुशल प्रबंधन के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करे। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि की गई कार्रवाई में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

सरकार के उत्तर

जैसा कि माननीय समिति द्वारा इंगित किया गया है, यह मंत्रालय इस चिंता की सराहना करता है कि स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्थायी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता है। तथापि जैसा कि पहले कहा गया था, पुरानी सहायता अनुदान आधारित योजना के तहत, शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य जिम्मेदार थे और कई राज्यों ने स्थायी शिक्षकों की भर्ती की थी। तथापि, कुछ राज्यों ने अस्थायी आधार पर संविदा/आउटसोर्स शिक्षकों की नियुक्ति की है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, मंत्रालय शिक्षकों की भर्ती के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए व्यय विभाग के साथ परामर्श कर रहा है। मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी एनईएसटीएसके कर्मचारी होंगे और नवोदय विद्यालय के अनुरूप केंद्रीय रूप से भर्ती किए जाएंगे। व्यय विभाग के अनुमोदन के बाद, एनईएसटीएस ईएमआरएसमें गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस बीच राज्यों को ईएमआरएस के लिए अतिथि / सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती के लिए दिशा-निर्देश राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। एनईएसटीएस एनवीएसके सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एनपीएस/केवीएस/राज्य शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक पूल भी तैयार कर रहा है, जिसे आगे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की ईएमआरएससोसाइटियों के साथ साझा किया गया है। फिलहाल सभी राज्यों में अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रयास है। राज्यों को अन्य सरकारी स्कूलों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों को रखने के लिए भी कहा गया है, शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे का समाधान होने तक जहां कहीं भी आवश्यक हो, ईएमआरएस शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

[जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24/8/2022 का कार्यालय ज्ञापन फा.सं.11011/01/2021-ईएमआरएस]

नई दिल्ली;
09 दिसंबर , 2022
18 अग्रहायण , 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट

'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' संबंधी 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	**11**	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है- **सि. पैरा सं. 2.8, 6.12 और 9.9**	**03**	**27.27%**
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- **सि. पैरा सं. 3.7,4.10 और 7.7**	**03**	**27.27%**
IV.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:– **सि. पैरा सं. 2.24, 8.19,10.6 और 11.5**	**04**	**36.37%**
V.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं**:-** **सि. पैरा सं. 5.9**	**01**	**9.09%**
			100%